पृष्ठ	あ								

## कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म. प्र. भोपाल

पंजी क्रमांक. 239. / अथरप - 16

	विषय: - न्यायालयीन प्रकरण डब्ल्यू पी. कमांक 2510/15	
	डॉ०/ <del>शी/श्रीमती है। के कि दें</del> शासन एवं अन्य।	
**		
	डिप्टी रजिस्ट्रार माननीय उच्च न्यायालय क्रिक्ट	
	से याचिका डब्ल्यू.पी. कमांक १५/५ डॉ (०/५) है। प्राप्त याचिका का संबंध अभाति अधील केंद्रित है।	
	से है। अभारि अधारा के किस में	
	प्रकरण में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की जाना है। कुपया प्रभारी अधिकारी का नाम निर्देशित करना चाहे।	
	. आदेशार्थ	
The same	Ad 2517 of 0 Te	
da		
600	वनाया भी राम ना	
101		
. 4.	por116	
	pro-110	
	प्रमादी अस्तित्या निम्न कार्या दान अक्टन प्रतियां	
1		
ALM!	ENUBRIO HE MONTH	- 11
1/5/1	हमास्त्रिम के.	
71	N107 1941	
	new,	
Charles .	Ad SELT OF	
18/21	र प्रमित्र अन्यम्भि	
(2)	वनाय जा के	
(4)	5-11 -401/	*
315	20/18/19	
29/2/	8 3/1900 0 23 02 10	
-	2982	*
10	शाकेमुभो—225—वाडशिभो—3-8-15—50,000	>
131	Quil6/11/6 29/02/16	1
011	Other Miles	17710

पृष्ठ क...... 🤰 ....

## कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म. प्र. भोपाल

पंजी क्रमांक 339. / अभ्यार

विषय:- WP 8510/15 55 (01-4)- 1/2/2 2/21-41841. केरेली विशह आयन 1 Ja 500 री-प्रभावी आदिकारी विष्टित क्यारेश भावी किस गार है। मिरावमार आहेश यात्र कावन कुन बक्ता हतार अभिवास्त्र अपुर द्यार का अपुर द्यारा पार्टी Jun ch 2191305 प्रित्सण आरेश-प्रापि छेट्-12A 1914-19115 3 ME कर्ना नारी / 08/03/16

388

शाकेमुभो—225—आउशिभो—3-8-15—50,000

## BY. REGD. A.D. POST

IN THE High Court of Judicature at Jabalpur: Bench at Indore

Process Id: 4073/2016

WP/8510/2015

From

Deputy Registrar, High Court of Judicature at Indore 1613...

Against Adm.
Fixed for 22-03-2016
WP-DA-10
Respondent No. 2

To,

Commissioner,

Higher Education Department, Govt. of M. P. Satpuda Bhawan Bhopal, District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

1030116

Indore 23-01-2016

Notice to Respondent No. 2 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WP/ 8510/ 2015

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one **Dr. N.k.** Nair has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. WP/8510/2015

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before 22-03-2016. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.



Your's faithfully

DEPUTY REGISTRAR

ФНІФ 4/6,939/2110/16 STWIM POISO272/6 सिविल प्रकिया संहिता 1990 (1908 का अधिकतम संख्या-5) के आदेश सत्ताईस नियम-1 तथा -1 अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए अति विद्युत अंगार्टिक अंगिरिक इंट्ली अंगिए। को याचिका कमांक UP. 8510/15

(481 को नाम) 51- EM- 20- 11212/210060 918MILLES के मध्यप्रदेश राज्य के लिये तथा उसके और से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनांक पत्र पर हस्ताक्षर करने तथा इन्हें सत्यापित करने के लिये कार्य करने आवेदन करने और उप

संजात होने के लिये नियुक्त करते हैं, प्रभारी अधिकारी को आदेश दिया जाता है, कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिवत वह अपनी नियुक्ति तुरन्त पश्चात् वादों में ऐसी स्थिति में जिसके ब्योरें नीचे दिये गये हैं.

निम्नलिखित कार्य करेगा:--

1/ प्रभारी अधिकारी मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जांच करेगा जैसा की, आवस्यकता हो, और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिससे कि मानले के संचालन में विधिक/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचेगी, रिपीर्ट तैयार करेगा । यदि किसी प्रकम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया हो तो उसे विभाग की रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट किया जायेगा ।

- समस्त सुसंगत फाइलें, दस्तावेज, नियम अधिसूचना तथा आदेश एकत्रित करेगा ।
- उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करेगा । 3/
- शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित / कथन उत्तर तैयार करवाएगा । 4/
- महत्वपूर्ण / नीतिगत प्रकरणों में तैयार किये गये लिखित / कथन या उत्तर विभागीय / प्रशासकीय अनुमोदन हेतु निम्नानुसार भेजेगा:-

वाद / पत्र की एक प्रति के साथ प्रक्रण तथा लिखित कथन की संक्षेपिका ।

प्रस्तावित लिखित कथन का प्रारूप । 2/

उन सभी दस्तावेजों की सूची तथा प्रतिशिपि जिन्हें साक्ष्य स्वरूप न्यायालय के समक्ष प्रस्तृत किया जाना है ।

मामले विश्वीकरण के लिये आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियों में वाद की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये ।

मामले की तैयारी और संचालन में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले के प्रकम और संबंधित नियमों में किये परिवर्तन से स्वयं को सदैव अवगत रखेगा ।

7/ जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्ट तथा मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता हैं। विधि विभाग एवं प्रशासकीय विभाग को सूचित करना तथा उसकी एक प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करेगा ।

अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही करने के लिये इस विभाग को भेजेगा ।

यह देखना कि आवेदन करने, प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करनें ,रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में अनावश्यक समय नष्ट न हों ।

10 / जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता हैं, वह अर्द्व शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा । यह वर्तमान पद भार देने के पश्चात् भी तब तक प्रभारी आधिकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाता है ।

प्रभारी अधिकारी मामलों को तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता की हर संभव मद्द / सहयोग करेगा तथा सुनिश्चित करेगा कि वाद के लिये उत्तरदायी कोई महत्वपूर्ण तथ्यात्मक दस्तावेज अप्रकटित नहीं रह जावे ।

महत्वपूर्ण / नीतिगत मामलों में निर्धारित दिनांक को न्यायालय में उपस्थित रहेगा ।

जिन प्रकरणों में माननीय भुख्य सचिव, को पक्षकार बनाया गया हैं, ऐसे मामलों में माननीय मुख्य सचिव का नाम विलोपित करने हेतु न्यायालयं के समक्ष शीघातिशीघ्र आवेदन दायर कर विलोपित करवायें ।

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

। मध्यप्रदेश शासन्, उच्च शिक्षा विमाग मंत्रालय, भोपाल भोपाल, दिनांक 27-2/6

(417/239 उशिवि/मंत्रालय न्याप्र/ (6 90年0. प्रतिलिपि:-

महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय म०प्र० जवलपुर/इन्दौर/ग्वालियर संभाग म.प्र. की ओर । प्रमुख सचिव. मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग विध्याचल भवन भोपाल

संबंधित जिलाध्यक्ष ाईतानी (केप्) मध्यप्रदेश। प्रनारी अधिकारी की ओर अग्रेपित । साथ ही शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करने और उपस्थिति प्रमाण-पत्र प्राप्ति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिये सलाह करने और मामलें में अपनी प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को सदैव ही भेजना चाहिये वाद पत्र की प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जायें, मामले की सुनवाई की तारीख..... सुनवाई हेतु नियत की गई थी / हैं ।

क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक . उच्च शिक्षा . की ओर सूचनार्थ एवं आदश्यक कार्यवाही हेतु ।

> मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विनान नंशालय, भीपाल